TR-491
08/03/17

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: 2066/2017
दिनांक - 07/03/2017

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,

आगरा।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत हो कि आपके महाविद्यालय में संचालित जिस पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता 30.06.2017 को समाप्त हो रही है ऐसे महाविद्यालयों को कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल पैनल दे दिये गये है अथवा दिये जा रहें हैं।

अतः ऐसे महाविद्यालय गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से निरीक्षण आख्या का **(प्रारूप "ए")** बिन्दु 01 से 26, तक तथा **(प्रारूप "बी")** एवं **(प्रारूप "सी")** के आधार पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से पूर्ण कराकर अग्रेत्र / स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आख्या की पत्रावली क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी, आगरा / सम्बन्धित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

\

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. ऐजेन्सी 2016 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित करें।

कुलसचिव

06/3/17

(A)

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन का प्रारूप

(उत्तर प्रदेश शासन,उच्चशिक्षा अनुभाग–2 के आदेश संख्या –3075 / सत्तर–2–2002–2(166)2002 दिनांक 27 सितम्बर 2002 के अनुसार)

1.	संस्थान / महाविद्यालय का नाम फोन नं. / मोबाइल नं. विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की दूरी किमी में	
2.	संचालक सोसायटी / ट्रस्ट का नाम	
3.	सोसाइटी / ट्रस्ट के पंजीकरण / नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण	
4.	पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए सम्बद्धता वांछित है	
5.	जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 कि.मी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?	
6.	प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?	
7.	उस क्षेत्र में 15 किलामीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?	
8.	उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?	
9.	क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
10.	क्या विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्युनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
11.	महाविद्यालय / संस्थान के नाम साथ राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या उसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय / संस्थान का नाम जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है।	
12.	यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक / परास्नातक स्तर पर कितने विषयों / पाठ्यक्रमो में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या	

क्र. स.	सत्र	पाठ्यक्रम	प्रवेशित छात्र / छात्राओं की संख्या
01			
02			
03			

		04			
		05			
		06			

13.	पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण	विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण			
		क्र. सं.	सत्र	प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सं0	उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सं0 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का प्रतिशत
		01			
		02			
		03			वर्तमान सत्र

14.	यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वांछित हैं तो उससे संबंधित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धारा–2(एफ) में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमा विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहां उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हो उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।	

15.	**प्राभूत** मानकानुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुलसचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण स्थिति	कला संकाय के लिए प्राभूत राशि विवरण	
		प्राभूतराशि	
		बैंक का नाम	
		शाखा	
		एफ0डी0आर0 संख्या	
		दिनांक	
	प्राभूत की राशि	विज्ञान संकाय के लिए प्राभूत राशि विवरण	
(1)	स्नातक स्तर पर कलां संकाय के सात विषयों हेतु रु. 2.00 लाख	प्राभूतराशि	रुपये
		बैंक का नाम	
		शाखा	
		एफ0डी0आर0 संख्या	
		दिनांक	
(2)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु प्राभूत राशि रु. 50,000/–		
(3)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रु. 50,000/–		
(4)	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु रु. 300 लाख		

(5)	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर पर बी. एस–सी. (कम्प्यूटर सांइस) बी. एस.–सी. (इनफार्मेशन टेक्नोलाजी) आदि नवीनि पाठ्यक्रमों में प्रत्यके उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत (क्रम 4 के अतिरिक्त) रु. 3.00 लाख	
(6)	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 55,000/–	
(7)	स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु रु. 75,000/–	
(8)	स्नातकोत्तर स्तर पर एम. काम. अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु रु. 2.00 लाख	
(9)	एल. एल–बी. (तीनवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रु. 4.00 लाख	
(10)	एल. एल–बी. (पांचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रु. 6.00 लाख	
(11)	बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 3.00 लाख	
(12)	एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 5.00 लाख	
(13)	एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 3.00 लाख	
(14)	स्नातक स्तर पर बी.काम. हेतु रु. 2.00 लाख	
(15)	बी.एड. तथा बी.पी.एड. हेतु रु. 2.50 लाख	
(16)	बी.एस–सी. कृषि संकाय के पांच विषय हेतु रु. 3.00 लाख	
16.	भूमि	
(1)	संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	
(2)	उक्त भूमि का विवरण (क) जनपद (ख) तहसील (ग) ग्राम (घ) गाटा संख्या जिसके अंतर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित है (ड) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीज डीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार वर्णन	
(3)	भूमि का मानक (1) नगर निगम/वि. प्रा. क्षेत्र–5000 वर्गमीटर (2) नगर पालिका/वि. परिक्षेत्र –7000 वर्गमीटर (3) अन्य क्षेत्र – 20000 वर्गमीटर शासनादेश संख्या –743 मु.मं./सत्तर–2–2006–2(166)/2002 दिनांक 7 नवम्बर, 2006 के अनुसार दिनांक 12.10.2006 या उसके पश्चात नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रस्ताव पर भूमि के मानक निम्नवत् हैं:– नगर निगम क्षेत्र –5000 वर्गमीटर अन्य नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र) 10000 वर्गमीटर किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी (4) कृषि महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त मानकानुसार के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिये उपलब्ध होना अनिवार्य है। (5) विधि पाठ्यक्रम (क) तीनवर्षीय वर्ष हेतु –1200 वर्गमीटर	

(ख) पंचवर्षीय हेतु – 1500 वर्गमीटर
(ग) तृतीय एवं पंचवर्षीय सम्मिलित पाठ्यक्रम हेतु – 2000 वर्गमीटर

(6) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए.आई.सी.टी.ई. के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

(7) मनकानुसार अपेक्षित भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होना अनिवार्य है। पैतृक संस्था अपने नाम को भूमि की 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय का नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित कर सकती है। किन्तु 30 वर्षो से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।

(8) महाविद्यालय के भूमि के सम्बन्ध में कई भूखण्डों होने की स्थिति में सभी भूखण्डों के एक ही स्थान पर और परस्पर सटे होने का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण एवं रजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शा मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्ताव के साथ मूल अभिलेख संलग्न करें।

17. भवन

(1) पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम हेतु निर्मित भवन की स्थिति
(क) जनपद
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) गाटा संख्या जिसमें भवन निर्मित है

(2) भवन का क्षेत्रफल

(3) निर्मित भवन में प्रत्येक कक्षों का माप सहित विवरण

3 भवन का प्रकार	कक्ष सं0	कक्ष की माप
प्रशासनिक कक्ष (प्राचार्य कक्ष, कार्यालय परीक्षा कक्ष, मीटिंग कक्ष, एवं लेखा कक्ष		..... वर्ग मी0
पुस्तकालय/वाचनालय		..... वर्ग मी0
व्याख्यान कक्ष		..... वर्ग मी0
प्रयोगशाला जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान		..... वर्ग मी0
छात्रा कामन कक्ष		..... वर्ग मी0
अध्यापक कक्ष	01	..... वर्ग मी0
बरामदा	01	..... वर्ग मी0
शौचालय छात्र शौचालय छात्रा	....	प्रति 4 वर्ग मी0 प्रति 4 वर्ग मी0

(4) याचित पाठ्यक्रम हेतु निर्मित व्याख्यान कक्ष एवं प्रयोगशाना कक्ष का विवरण

व्याख्यान कक्ष.....संख्या.....क्षेत्रफल.....वर्गमी0
प्रयोगशाला कक्ष.....संख्या.....क्षेत्रफल.....वर्गमी0

(5) भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(क) विद्युत आपूर्ति
(ख) पेयजल
(ग) टेलीफोन
(घ) प्रसाधन

क. उपलब्ध है।
ख. उपलब्ध है।
ग. उपलब्ध है।
घ. उपलब्ध है।

(6) भवन का मानक
(1) कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष 85 से 90 वर्गमीटर में

भवन का ब्लू प्रिंट के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा एन.बी.सी. के तहत प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी ..... द्वारा अग्निशमन व्यवस्था के लिए अनपत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त है।

	(2) प्रयोगशाला कक्ष –80 वर्गमीटर (3) पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष – 80 व. मी. (4) अध्यापक कक्ष –20 वर्गमीटर (5) एक छात्रा कक्ष – 20 वर्गमीटर (6) प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष –80 वर्गमीटर (7) बरामदा –100 वर्गमीटर (8) शौचालय (छात्र एवं छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक 4 वर्गमीटर में कुल 8 वर्गमीटर (9) महाविद्यालय की चाहरदिवारी निर्मित है अथवा नहीं। उपरोक्त कुल निर्मित भूमि का योग– 828 वर्गमीटर होना अनिवार्य है।	उपलब्ध है। उपलब्ध है। उपलब्ध है। उपलब्ध है। उपलब्ध है। उपलब्ध है। शौचालय छात्र एवं छात्रा प्रत्येक के लिए दो उपलब्ध है। जिनका क्षेत्रफल ..... वर्ग मी0 से अधिक है। महाविद्यालय में चाहरदीवारी निर्मित है। निर्मित भूमि का योग ..... वर्ग मी0 से अधिक है।
18. (1) (2) (3) (4) (5)	**फर्नीचर का विवरण** शिक्षण कक्षों हेतु उपलब्ध फर्नीचर का विवरण प्रशासनिक कक्षों में फर्नीचर का विवरण पुस्तकालय कक्ष में फर्नीचर का विवरण प्रयोगशाला कक्ष में फर्नीचर का विवरण क्या उक्त फर्नीचर संस्था/महाविद्यालय के स्टाक रजिस्टर में मूल्य सहित अंकित है अथवा नहीं	☐ मानकानुसार डेस्क बेंच फोर सीटेड उपलब्ध है। ☐ आलमारी, कुर्सी, मेंज मानकानुसार ☐ आलमारी, कुर्सी, मेज, छोटी, मेज बड़ी छात्र रीडिंग हेतु मानकानुसार ☐ कुर्सी मेज, आलमारी आदि मानकानुसार ☐ अंकित है। उपरोक्त सम्बन्धित विवरण महाविद्यालय स्टाक रजिस्टर में दर्ज है।
19. (1) (2) (3) (4)	पुस्तकालय पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों की संख्या एवं क्रय मूल्य के प्रमाणिक अभिलेख प्रार्थित विषयों हेतु उपलब्ध पुस्तकें पूर्ववर्ती वर्षों में उक्त में से कितनी पुस्तकें क्रय की गयीं वर्तमान वर्ष में क्रय की गयी पुस्तकों का विवरण मूल्य सहित	पूर्ववर्ती सत्र ..... कला संकाय

क्र. सं.	विषय	पुस्तक सं.	धनराशि
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	योग		

पूर्ववर्ती सत्र ..... कला संकाय

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	योग		

वर्तमान सत्र ..... कला संकाय

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	योग		

		पूर्ववर्ती सत्र ..... विज्ञान संकाय

1			
2			
3			
4			
5			
	योग		

पूर्ववर्ती सत्र ..... विज्ञान संकाय

1			
2			
3			
4			
5			
	योग		

पूर्ववर्ती सत्र ..... विज्ञान संकाय

1			
2			
3			
4			
5			
	योग		

महाविद्यालय पुस्तकालय पंजिका में दर्ज है।

(20) प्रयोगशाला

(1) सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार क्रय किये गये उपकरणों का मूल्य सहित विवरण

महाविद्यालय विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरण रसायन विज्ञान चार्ट मूल्य सहित विवरण

पूर्ववर्ती सत्र .....

क्र. सं.	प्रयोगशाला	धनराशि
1		
2		
3		
4		

पूर्ववर्ती सत्र .....

1		
2		
3		
4		

वर्तमान सत्र .....

1	भौतिक विज्ञान	
2		
3		
4		

(2) क्या क्रय किये गये उपकरण प्रयोगिक विषय के संचालन हेतु पर्याप्त है?

(3) प्रयोगशाला में उपलब्ध रसायन/चार्ट्स आदि का विवरण एवं क्रय मूल्य

(4) स्टाक रजिस्टर में क्या उक्त विवरण अंकित है य नहीं

21. (1)	प्रबन्ध समिति प्रबन्ध समिति के गठन एवं विश्वविद्यालय से उसके अनुमोदन की स्थिति	
(2)	सोसायटी/ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम	सोसायटी की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम निम्न है–

क्र.सं.	नाम	पद

22. (1) (2) (3)	शिक्षणेत्तर कियाकलापों हेतु उपलब्ध आवश्यक सुविधाएं क्रीड़ा–स्थल क्षेत्रफल सहित (भूमि का कुल क्षेत्रफल –828 वर्गमीटर) क्रीड़ा–सामग्री का विवरण छात्रावास, यदि व्यवस्था हो तो उसका विवरण एवं विद्यार्थियों की क्षमता	
23. (1) (2)	शिक्षण व्यवस्था निदेशक/प्राचार्य का नाम योग्यता व वेतनमान संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक अहर्ता सहित विवरण एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित स्थायी नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त)	महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत महाविद्यालय प्राचार्य व शिक्षको का माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त पत्र संख्या वि0वि0/सम्ब0/.....दिनांक.....द्वारा निर्गत है। महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों का विवरण निम्नवत है–

क.सं.	नाम	पद	विषय	योग्यता
01		प्राचार्य		एम.ए. नेट पी. एच.डी.

नोट– महाविद्यालय प्राचार्य व विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति स्ववित्तपोषित योजना के अनुसार संविदा पर की गई है।
प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन कुल सचिव ..... द्वारा प्राप्त है।

(3)	नियुक्त शिक्षकों में से कितने शिक्षक आयोग से चयनित हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति जी का अनुमोदन प्राप्त है।	महाविद्यालय में प्राचार्य पद के लिए वेतन धनराशि रु0..... ..... प्रति माह व विषय प्रवक्ताओं के लिए रु0 ..... प्रति माह देह है। मानकानुसार
(4)	यदि किसी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु नियुक्ति वर्तमान में नहीं की गयी है तो भावी योजना क्या है?	
(5)	वर्तमान में शिक्षकों के वेतनादि मद में व्यय की गयी मासिक धनराशि का विवरण	
(6)	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या	
24.	महाविद्यालय को संचालित कर रही संस्था की आर्थिक स्थिति	
(1)	संस्था के आय के श्रोतों का विवरण	☐ दान, चंदा, व सदस्यता शुल्क आदि।
(2)	प्रत्येक श्रोतों से होने वाली आय का वार्षिक विवरण	☐ सी.ए. रिपोर्ट।
(3)	वर्तमान में संस्था के नाम बैंक खातों में जमा धनराशि का विवरण	☐ संस्था के बैंक खातों मेण्ण्ण्ण रु0/– की धनराशि जमा है।
(4)	महाविद्यालय के विभिन्न खातों में धनराशि का विवरण	
25.	शपथ पत्र रु. 50.00 के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र को संस्था/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा प्रबन्ध समिति के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो।	शपथपत्र मूल प्रति है।
26.	अण्डरटेकिंग– मैनें अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति में मै पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यदि निरीक्षण टिप्पणी में कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। शासनादेश संख्या 4954/सत्तर–2–2008 –2(166)/2002 दिनांक 27/10/2008 के अनुसार निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।	

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पद एवं पूरा नाम.....	पद एवं पूरा नाम.....	पद एवं पूरा नाम.....	पद एवं पूरा नाम..... .....
महाविद्यालय का नाम.....	महाविद्यालय का नाम....	महाविद्यालय का नाम....	क्षे0उ0शि0अ0 आगरा या प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय

(B)

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

महाविद्यालय का नाम :- .....

कालेज कोड़ :- .....

..... संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के ..... के संचालन हेतु स्थायी संम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मंण्डल की आख्या।

विश्वविद्यालय के पत्रांक सं0/सम्ब0/ /2017 दिनांक ..... द्वारा ..... को ..... संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के ..... के संचालन हेतु स्थायी सम्बद्धता हेतु माननीय कुलपति जी ने निरीक्षण मण्डल का गठन किया हैं। निरीक्षण मण्डल के सदस्य :-

1. .....
2. .....
3. .....

निरीक्षण मण्डल के उपरोक्त सदस्यों द्वारा आज दिनांक ..... को ..... संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के विषयों ..... की स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापन तथा महाविद्यालय परिसर, भवन भूमि आदि का स्थलीय निरीक्षण करने पर स्थायी सम्बद्धता हेतु आख्या निम्नवत् है :

1. <u>सोसायटी पंजीकरण</u> :-

महाविद्यालय को संचालित करने वाली सोसायटी का नाम.....हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 ..... है, नवीनीकरण संख्या ..... है जो दिनांक ..... से अग्रिम 05 वर्ष तक विधिमान्य हैं।

2. भूमि :-

महाविद्यालय के पास ग्राम ..... में गाटा संख्या ..... एवं .....

वर्गमीटर भूमि हैं जो ..... के नाम एवं धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित

हैं। खतौनी संलग्न हैं – संलग्नक संख्या..... .

3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण खतौनी सहित संलग्न हैं।

4. <u>अनापत्ति (एन0ओ0सी0)</u> :-

उत्तर प्रदेश सरकार अनुसचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्रांक संख्या डी0बी0आर0ए0यू0/ सम्ब0/ अनापत्ति/ / दिनांक ..... को प्राप्त हो चुकी हैं।

अथवा

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ..... दिनांक .....

द्वारा महाविद्यालय को अनापत्ति जारी हो चुकी हैं।

5. महाविद्यालय ग्राम पंचायत/नगर निगम में स्थित है, प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

6. सोसाइटी के विगत 3 वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट संलग्न हैं।

7. मानक के अनुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में रू0 ...../– जमा हैं। बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति संलग्न हैं।

8. <u>प्राप्त राशि</u> :-

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम हेतु रूपये ..... का एफ0डी0 सं0.....

बैंक ..... शाखा में ..... महाविद्यालय के नाम जमा एवं कुलसचिव डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा के पदनाम से प्लेज्ड हैं।

9. प्रबंन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित <u>विवरण/प्रविष्टियां</u> तथ्यों पर आधारित एवं सही है, का रू0 50/– के स्टैम्प में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूलरूप में संलग्न हैं।

10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा 2एफ में पंजीकृत है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण, विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण संलग्न हैं।

12.(a) महाविद्यालय में पूर्व में ..... पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें कुल 07 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय 1, प्रयोगशाला 2, अध्यापक कक्ष 1, छात्र/छात्रा कक्ष 1, प्रशासनिक कक्ष (प्राचार्य कक्ष, परीक्षा कक्ष एवं सभा कक्ष), स्टोर रूम 2, कामन रूम 1, छात्र/छात्राओं हेतु अलग–अलग शौचालय 8 बनाये गये हैं जो वि मानकों के अनुरूप हैं। पेयजल की व्यवस्था हैं। महाविद्यालय में विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था हैं एवं चहारदीवा पूर्णतः निर्मित है भवन का मानचित्र संलग्न है।

(b) पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम हेतु रू0 ...../– फर्नीचर एवं रू0 ...../– की पुस्त मानकानुसार उपलब्ध हैं जिसका विवरण स्टाक रजिस्टर में अंकित है एवं बिल/बाउचर्स संलग्न हैं।

(c) पूर्व मे संचालित पाठ्यक्रम हेतु दो प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध है। जिसमे जल निकास, सिंह इत्यादि की उत्तम व्यवस्था है, जिसमें रू0 ...../- के उपकरण उपलब्ध हैं।

(d) महाविद्यालय में प्राचार्य एवं .....शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, (विषय) ..... के तीन प्रवक्ताओं एवं एम0ए0 के ..... प्रवक्ताओं का भी अनुमोदन कुलपति महोदय जी द्वारा प्राप्त हो चुका है जिसकी नियुक्ति की संविदा पॉच वर्ष है। अनुमोदन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

(e) याचित पाठ्यक्रम हेतु अवस्थापना सम्बंधी सुविधाओं का विवरण :-

(a) व्याख्यान कक्ष ..... (b) प्रयोगशाला .....

(c) फर्नीचर की स्थिति ..... (d) पुस्तकों की संख्या .....

(e) शिक्षकों के अनुमोदन की स्थिति .....

13. सामूहिक नकल न होने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

14. नियुक्त प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जा रहा हैं। प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

15. महाविद्यालय भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन किया गया हैं। अग्निशमन की मानकानुसार व्यवस्था की गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न हैं) पेयजल, टेलीफोन, प्रसाधन की सुविधाऐं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग हैं। हैण्ड पम्प एवं समर्सेबुल पम्प की भी व्यवस्था हैं। जिससे पूरे महाविद्यालय में जलापूर्ति की जाती हैं।

16. <u>अण्डरटेकिंग</u> :-

अ- मैनें अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति में मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।	
ब- यदि निरीक्षण टिप्पणी में कोई तथ्यात्मक त्रुटि पाई गई तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं।	
स- यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।	

17. विश्वविद्यालय के पत्रांक सं0 डी0बी0आर0ए0यू0/सम्बद्धता/ ..... दिनांक ..... द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा ..... का स्थलीय निरीक्षण आज दिनांक ..... को किया गया तथा प्रबंन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, शपथ पत्रों एवं उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं एवं संसाधनों के आधार पर बी0एस0एसी0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक ..... से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही हैं।

हस्ताक्षर.....	**हस्ताक्षर.....**	**हस्ताक्षर .....**
पद एवं पूरा नाम	**पद एवं पूरा नाम .....**	**पद एवं पूरा नाम .....**
.....	**.....**	**.....**
महाविद्यालय का नाम	**महाविद्यालय का नाम**	**महाविद्यालय का नाम**
.....	**.....**	**.....**
.....	**.....**	**.....**

(C)

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक सं0.....सम्बद्धता / 2017 दिनांक 2017

(निरीक्षण मण्डल)

सेवा में,

1. .....
2. .....
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा, सदस्य सचिव

अथवा

4. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,.....

विषय– ..... स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु स्नातक / परास्नातक .....संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के प्रकरण में अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिये स्थलीय जॉच कर आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह सूचित करना है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप 1287 / सत्तर–6–2016–62 / 2016 दिनांक 02.08.2016 के निर्देशानुसार उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु मा0 कुलपति जी ने आप को महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल के सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में महाविद्यालय का निरीक्षण मण्डल के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अपनी मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की विधिवत जॉच कर अपनी निरीक्षण आख्या तथा सम्बद्धता के प्रकरण मे स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति दो प्रतियों में स्वयं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण आख्या या उसकी कोई प्रति किसी भी स्थिति में महाविद्यालय को नही दी जायें। विश्वविद्यालय मे सीलबन्द लिफाफे में निरीक्षण आख्या निरीक्षण मण्डल द्वारा या निरीक्षण मण्डल के सदस्य सचिव द्वारा स्वयं प्राप्त करायी जायेगी। यह भी सूच्य है कि निरीक्षण मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि मे महाविद्यालय का निरीक्षण सूर्यास्त से पूर्व किया जायेगा तथा संयुक्त फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी कराया जाय ताकि निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ पर स्पष्ट एवं पठनीय हस्ताक्षर तिथि सहित किये जाये।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण मण्डल महाविद्यालय के भवनों (प्रत्येक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, अन्य कक्षों यथा प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, मीटिंग कक्ष एवं चाहरदीवारी गेट सहित आदि) के साथ अपनी संयुक्त फोटो भी खिचवायेंगें जिसे निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें।

निम्न बिन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है।

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति के पंजीकरण व दिनांक एवं वैधता की तिथि।
2. मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति जो तहसीलदार / उप जिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता प्रमाण–पत्र मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (SDM / तहसीलदार) से प्रमाणित एवं नजरी नक्सा मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (SDM / तहसीलदार) से प्रमाणित हो उसे संलग्न किया जाये। जिनमें महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित सम्पूर्ण भूमि का स्पष्ट विवरण विभिन्न गाटाओं के नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल के साथ स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने की आदेश की संख्या एवं तिथि अंकित किये जाये तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय भवन निर्मित है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से रू0 50.00 के नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र लिया जाय की महाविद्यालय उसी भूमि तथा गाटा सं0 पर निर्मित है जिसपर महाविद्यालय स्थापना / अतिरिक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु एन0ओ0सी0 दी गयी है। अनापत्ति पत्र एवं अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात् यदि किसी महाविद्यालय द्वारा मानक के अतिरिक्त अधिक भूमि बढ़ा ली गयी है तो उसका निरीक्षण आख्या में गाटा सं0 तथा क्षेत्रफल के साथ स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थिति होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता / नगरपालिका अध्यक्ष / ग्राम प्रधान का मूल प्रमाण पत्र निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न किये जाये।
6. सोसाइटी / ट्रस्ट की वार्षिक आय के सम्बन्ध में संस्था की विगत तीन वर्षो की चार्टेट एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत / प्रमाणित बैलेस शीट अथवा सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण तीन वर्ष से कम होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी / महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि।
8. मानकानुसार प्राभूत राशि जमा होने की सिथति।
9. प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण / प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का रू 50 / – के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूलरूप में होने की स्थिति।

10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा– 2 एफ एवं 12 बी में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय में पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के नियमानुसार विवरण सहितः–
    a. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र–छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चाहरदीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति (संख्या एवं क्षेत्रफल सहित)
    b. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
    c. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालायें स्थापित होने एवं उसमे पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की स्थिति। **बी0एससी0/एम0एससी0 पाठ्यक्रम के विषयों हेतु प्रयोगशालाओं के कक्षों में मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।**
    d. संचालित पाठ्यक्रम में नियुक्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष व अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्त होने तथा उनके वेतन भुगतान बैंक से होने के सम्बन्ध मे सम्बन्धित शिक्षक का शपथ पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बैंक मैनेजर का मोहरयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
13. याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहितः–
    a. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र–छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चाहरदीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति (संख्या एवं क्षेत्रफल सहित)
    b. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
    c. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालायें स्थापित होने एवं उसमे पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की स्थिति। **बी0एससी0/एम0एससी0 पाठ्यक्रम के विषयों हेतु प्रयोगशालाओं के कक्षों में मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।**
    d. संचालित पाठ्यक्रम में नियुक्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष व अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्त होने तथा उनके वेतन भुगतान बैंक से होने के सम्बन्ध मे सम्बन्धित शिक्षक का शपथ पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बैंक मैनेजर का मोहरयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
14. बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0 पाठ्यक्रमों की अतिरिक्त यूनिट हेतु मानकानुसार पृथक से अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं अध्यापकों के विश्वविद्यालय से अनुमोदन एवं नियुक्ति की स्थिति।
15. शासनादेश संख्या 4070/सत्तर–2–2011–16(686)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के अनुसार सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मानक ग्रामीण क्षेत्र–15 फुट तथा शहरी क्षेत्र–20 फुट।
16. महाविद्यालय की सम्बद्धता के मानकों के निर्धारण हेतु जारी शासनादेश सं0 3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश सं0 3411/सत्तर–2–2002–(166)/2006 दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश सं0 743मु0म0/सत्तर–2–2002–2(166)/2006 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।
17. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के समय अद्यतन सम्बद्धता सम्बन्धी समस्त शासनादेशों को निरीक्षक मण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगें तथा यह भी सुनिश्चित करा लेगें/कर लेगें कि कोई संगत शासनादेश समिति के समक्ष उपस्थित होने से छूट न जाए तथा उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो जाये।
18. महाविद्यालय की स्थापना/पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन का क्षेत्रफल एवं उपलब्ध सभी कक्षों की कुल संख्या एवं उनकी सुस्पष्ट माप वर्गमीटर में ही अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
19. महाविद्यालय भवन में यदि कोई भी कक्ष की छत एसवेस्टस (Asbestos) द्वारा निर्मित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जायें ?
20. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यू0पी0एस0 आदि के साथ इण्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
21. प्रबन्ध समिति तथा शिक्षक अनुमोदित है कि नही, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। यदि नही तो महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि वह अनुमोदन करा ले जिससे सम्बद्धता का प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। यदि महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका सुस्पष्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में किया जाय ?
22. बिजली की व्यवस्था होने की स्थिति में पावर कारपोरेशन, उ0प्र0 का बिजली का बिल संलग्न करें यदि नहीं तो जेनरेटर से विद्युत व्यवस्था होने की दशा में जेनरेटर की लॉगबुक संलग्न करें।
23. छात्राओं की रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में छात्रावास के कक्षों का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ?
24. जिन महाविद्यालयों को प्रपत्र बी पर अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है उनके प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति यदि महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तो उसका भी अंकन निरीक्षण आख्या में अनिवार्य रूप से किया जाय ?
25. संचालित महाविद्यालयों में नवीन विषयों/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु शासनसदेश संख्या 377/सत्तर–1–2013–16(114)/2010 दिनांक 03.12.2013 के अनुसार यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होना अनिवार्य है तथा इसके सम्बन्ध में समिति स्पष्ट आख्या दे।
26. महाविद्यालय की वेबसाइट का एड्रेस, टेलीफोन नम्बर, ई–मेल एड्रेस, फैक्स नम्बर एवं कालेज कोड इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में किया जाये।
27. महाविद्यालय में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख यदि वाटर प्यूरीफायर है तो उसका उल्लेख निरीक्षण आख्या में करें।

28. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चाहरदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
29. सामूहिक नकल का आरोप न होने की स्थिति।
30. नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र अधिशाषी अभियनता, लोकनिर्माण विभाग अथवा अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामिण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्गत हो एवं अग्निशमन की मानकानुसार व्यवस्था हाने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
31. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी। जो निम्न प्रकार होगा।

"मैं सत्यापित करता हूँ कि निरीक्षण आख्या में जो संस्तुति की गयी है वह सत्य है तथा यदि काई सूचना असत्य/गलत पायी गयी तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत तोर पर जिम्मेदार होऊंगा।"

32. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी संस्तुति।
33. **महाविद्यालय को सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निरीक्षण मण्डल कराने से पूर्व प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदन कराना अनिवार्य है।**

उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/सचिव के साथ तथा विडियोंग्राफी की सी0डी0 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश 710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टी0सी0 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवसथा सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्यदिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्सम्बंधी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुँचकर निरीक्षण करने महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकिंत किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/ सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिये ओर अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साक्ष्य निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थाना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। निरीक्षण मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर–6–20016–100(18)/2016 दिनांक 12 मई, 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

निरीक्षण मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षण मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नही ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोटः उल्लिखित बिन्दु संख्या 12, 13 एवं 33 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल द्वारा गम्भीरता से निरीक्षण कर पृथक–पृथक प्रविष्ट स्पष्ट रूप से स्वयं अंकित की जाए।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिलिपि–

1. प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति .....को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षक मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षक मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तर दायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य संदर्भित सूचना तिथि सहित 03 माह की अवधि में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **प्रबन्धक/सचिव सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निरीक्षण पैनल कराने से पूर्व विश्वविद्यालय से प्राचार्य एवं शिक्षकों के अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ले।**
3. प्रबन्धक/प्राचार्य यदि आपका महाविद्यालय All India Survey on higher Education में पंजीकृत नही है तो तत्काल पंजीकृत कराकर सूचित करे अन्यथा, नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
4. कुलसचिव कार्यालय।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)